अध्याय 8

नीति-विषायक अनिवार्यताएं एवं कार्यक्रम संबंधी उपाय

नीति विषायक अनिवार्यताएं

8.1 जहां तक आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास का संबंध है दोनों के लिए दसवीं योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो निःसंदेह महत्वाकांक्षी है। फिर भी,हमारे लोगों की अपेक्षित खुशहाली एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार प्राप्त करने के लिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य है। अकेला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे सामने है वह देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी और इससे सामाजिक ढांचे में होने वाले परिणामों से संबंधित है। सभी उपलब्ध विश्लेषण यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारे बढ़ते हुए श्रम बल को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था की 8 ifr'kr की लक्षित वृद्धि दर ही आवश्यक नहीं है बल्कि क्षेत्रकीय समरूप वृद्धि की प्राप्ति भी आवश्यक है जिसका उल्लेख पूर्व अध्यायों में किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने वर्तमान तरीकों से काफी हटकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। योजना दस्तावेजों के उचित खंडों में आवश्यक उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो भी अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य समझे गए व्यापक नीतिगत सुधारों एवं उपायों को एक साथ लाना आवश्यक समझा गया है। यह संकलन किसी अन्य कारण l ugh cfYd इस कारण से लाभदायक सिद्ध होना चाहिए कि यह हमारे सामने के कार्यों की व्यापकता का आभास कराएगा। सरकार के प्रत्येक अंग को,चाहे वह केंद्र में हो या राज्यों में ऐसे उपाय करने होंगे जो इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, यदि इन विभिन्न नीतिगत परिवर्तनों की समग्र सहक्रियता को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है।

8.2 यह संकलन इन नीतियों के ''कवरेज'' के आधार पर तैयार किया गया है। इनमें से कुछ संपूर्ण आर्थिक प्रणाली के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं जबकि अन्य अपने क्षेत्र विस्तार में अपेक्षतया सीमित हैं और या तो वह सरकार की बजटीय प्रक्रिया का या विशिष्ट क्षेत्रकों का अतिक्रमण करते हैं। फिर भी ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि जिस क्रम में यह नीति परिवर्तन रखे गए हैं उसी के अनुरूप वह प्राथमिकता निर्धारण का संकेत देते हैं। वह सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसी भी एकीकृत आर्थिक प्रणाली में ''क्रास-लिंकेज'' (पारस्परिक संबंध) काफी हो सकते हैं और अक्सर उनकी माप-तौल नहीं की जा सकती। इस बात पर पुनः जोर दिया जाता है कि दसवीं योजना की सफलता या असफलता आगे के खंडों में उल्लिखित नीतियों को अपनाने पर निर्भर करती है।

8.3 अर्थव्यवस्था-व्यापी नीति विषायक उपाय

- **निवेश के लिए कानूनों एवं प्रक्रियाओं** का सरलीकरण।
- व्यापार एवं वाणिज्य के **अंतर्राज्यीय अवरोधों** को समाप्त करना।
- लघु एवं मझोले उद्यमों के दीर्घकालीन वित्तपोषण के लिए **विकास-वित्तीय संस्थाओं** का सुधार।
- **स्टॉक रखने एवं व्यापार के वित्तपोषण पर** सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों को हटाना।
- **परिसंपत्तियों के हस्तांतरण** को आसान बनाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम को रद्द करना, दीवालियापन एवं पुरोबंध कानूनों को लागू करना एवं उन्हें सुदृढ़ करना।
- प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए **उधार ली गई निधियों की लागत** को मापना।
- **श्रम कानूनों** में सुधार।
- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की नीति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि योजना के वित्तपोषण के लिए 16,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की वसूली की जा सके।

- आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में **अनिवार्य-वस्तु अधिनियम** एक पुराना कानून है। इसे रद्द किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर एक आपात-अधिनियम लाया जाना चाहिए जिसे एक विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट वस्तु के लिए एक सीमित समयावधि के लिए अधिसूचना द्वारा लागू किया जा सके। केंद्र से राज्यों को अधिसूचना जारी करने के लिए प्राधिकार का कोई हस्तांतरण नहीं होना चाहिए।
- खाद्य पदार्थों पर लागू विभिन्न कानूनों जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, (पीएफए) 1955 और माप एवं तौल अधिनियम,1976 का एक एकीकृत एवं आधुनिक **खाद्य अधिनियम** में एकीकरण। इस अधिनियम में खाद्य प्रसंस्करण सहित संपूर्ण खाद्य क्षेत्रक के लिए एक खाद्य विनियामक प्राधिकरण का प्रावधान होना चाहिए।
- **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश** को प्रोत्साहित करना ताकि 7.5 बिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

लोक वित्त

8.4 लोक वित्त के संबंध में नीति विषयक अनिवार्यताएं को इन तीन स्तरों अर्थात केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और कुछ नीतियों की ओर केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर ध्यान देना होगा।

8.4.1 केंद्रीय स्तर पर

- **आयकर प्रशासन** के अच्छे प्रवर्तन के लिए आयकर प्रणाली का व्यापक कम्प्यूटरीकरण और मुद्रा लेनदेनों में कर पहचान संख्याओं का सार्वभौमिक उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **निगमित कर** के अधीन छूटों को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाना चाहिए।
- वास्तविक एकल उत्पाद शुल्क दर उत्तरोत्तर रूप से अपनाने की वर्तमान नीति आगे बढ़ाई जानी चाहिए और विद्यमान छूटों में कठोरता बरती जानी चाहिए,विशेषकर छोटे उद्यमियों द्वारा कर अनुपालन में सुधार के लिए।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली के अधीन **सेवा शुल्क** का क्षेत्र-विस्तार निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के बढ़े हुए क्षेत्र के माध्यम से काफी अधिक कर प्राप्त किया जा सके।
- औसत एशियाई दरों के साथ सीमा **शुल्क दरों** में समानता लाई जानी चाहिए।
- शुल्क संरचना को विकृत करने वाली **छूटों एवं रियायतों** को समाप्त किया जाना चाहिए।
- **व्यय सुधार आयोग** की सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ उर्वरक सब्सिडी में उत्तरोत्तर कटौती और पेट्रोलियम सब्सिडी समाप्त करना।
- लक्षित लोक वितरण प्रणाली और काम के बदले अनाज,मध्याह्न भोजन,विद्यालय-पूर्व बच्चों एवं महिलाओं आदि के लिए पोषाणिक-सहायता जैसे गरीबों के विशिष्ट कार्यक्रमों के जरिए **खाद्य सब्सिडी** को बेहतर रूप से लक्ष्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए।
- सरकार के वेतन एवं भत्ता बिलों की कटौती निरंतर आधार पर चलाई जानी चाहिए क्योंकि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में स्टाफ संख्या कम करना गैर-योजना राजस्व व्यय को कम करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
- सभी बजटीय सहायताओं को अंततः समाप्त करने और पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न् करने की दृष्टि से रेलवे,विद्युत क्षेत्रक यूनिटों एवं अन्य सरकारी क्षेत्र के यूनिटों की **प्रचालन कुशलता** में सुधार।

8.4.2 राज्य स्तर पर

- टर्मिनल लाभों और ऋण शोधन स्व-वित्त

व्यवस्था जैसे प्रतिबद्ध भुगतानों के लिए निवल कटौती की नीति अपनाकर और **पेंशन तथा ऋण परिशोधन** निधि के गठन के द्वारा **स्टाफ संख्या** में कटौती करते रहना चाहिए।

- **प्रशासनिक एवं स्थापना लागत** पर व्यय में कटौती का गंभीरता के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए।
- **राज्य सरकारी क्षेत्र के यूनिटों** विशेषकर घाटे पर चल रहे और सरकारी सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों को पूरा न करने वाले यूनिटों का निजीकरण किया जाना चाहिए।
- केंद्र की पहल से खनिजों पर **रायल्टी की यथामूल्य** दरें शुरू की जानी चाहिए।
- एक **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक** पारित करना जिसके अन्तर्गत ब्याज भुगतानों के बोझ को कम करने के लिए उधारों को वर्तमान स्तरों से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना में न बढ़ते हुए ऋण के स्तर तक सीमित किया जा सकेगा।
- उधारों को सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के वर्तमान बकाया ऋण के स्तर या उससे कम तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाना ताकि सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना में न बढ़ने वाला बकाया ऋण स्तर प्राप्त किया जा सके और जिसके द्वारा ब्याज भुगतानों का बोझ कम किया जा सकेगा।
- राज्य गारंटियों के निर्गमन पर प्रशासनिक या कानूनी हदबंदी के माध्यम से विद्युत क्षेत्रीय सुधारों के कार्यान्वयन एवं राज्य बजटों पर आकास्मिक देयताओं का बोझ कम करके राज्य के सरकारी क्षेत्र के **उपक्रमों के आंतरिक संसाधनों** में सुधार का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए।

8.4.3 केंद्र और राज्य स्तरों पर

- **मूल्य वर्धित कर** (वैट) का राज्य स्तर पर विस्तार शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि केंद्रीय वैट के साथ इसका एकीकरण किया जा सके तथा विभिन्न कर क्षेत्रों द्वारा लगाई गई कर दरों के साथ इसका सामंजस्य हो सके।
- **उपभोक्ता शुल्कों** को लागत-वसूली स्तरों तक बढ़ाया जाना चाहिए और आम जनता को इस बात से आश्वस्त करने के लिए कि ऐसी प्रणाली उनके समग्र हित में होगी, सूचना अभियान के द्वारा इसे स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए।
- कर आधार में सेवाएं शामिल करने,कर छूटों एवं रियायतों को हटाने, कर दरों में सामंजस्य, कर प्रशासन को सख्त बनाने और एकीकृत वैट प्रणाली अपनाने के द्वारा केंद्र और राज्यों के **कर/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात** में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

8.5 प्रशासन में सुधार

- एक यथार्थ योजना परिव्यय तैयार करने के लिए दसवीं योजना के माध्यम से **"कोर प्लान्स"** (महत्वपूर्ण योजनाओं) की अवधारणा को अपनाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा (क) पिछले तीन वर्षों में राज्य योजना के लिए समग्र वास्तविक संसाधन जुटाने की प्रवृत्ति और (ख) योजना के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों का वास्तविक एवं संतुलित अनुमान।
- काफी हद तक विकास प्रशासन का कार्य आसान हो जाएगा यदि नागिरकों को अधिकार के रूप में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएं। प्रस्तावित अधिकांश सुधारों के लिए **सूचना के अधिकार** को एक शुभारंभ माना जाना चाहिए।
- **राजस्व प्रणाली में कु-प्रशासन एवं भ्रष्टाचार** के परिणामस्वरूप राजस्व का ही नुकसान नहीं होता बल्कि यह लोगों को काली/ समानान्तर अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अतः न्यायोचित कर दरों एवं कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी,समान एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए

इसके सुधार की दृष्टि से राजस्व **प्रणाली में सुधारों** की आवश्यकता है।

- **सिविल सेवा सुधारों** का उद्देश्य लोक प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी, ईमानदारी, कार्यकुशलता तथा संवेदनशीलता में सुधार करना होना चाहिए। बाक्स 8.1 में सिविल सेवा सुधारों को सुनिश्चित करने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

बाक्स 8.1

सिविल सेवा सुधार सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण उपाय

- नीतियों, पात्रताओं एवं प्रक्रियाओं की कार्य प्रणाली एवं परिणाम पारदर्शी, सहभागितापूर्ण एवं सुप्रचारित होने चाहिए।
- यह विश्वास किया जाता है और इस कारण इसका अनुपालन किया जाना चाहिए कि जितना कम विवेकाधिकार होगा उतनी ही अधिक न्यायपूर्ण एवं कम भ्रष्ट प्रणाली होगी।
- विद्यमान सांस्थानिक व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करनी होगी और परिवर्तन करने होंगे ताकि जिनके पास प्राधिकार दिया गया है उन्हें भी उत्तरदायी बनाया जा सके।
- सार्वजनिक जीवन में पुरस्कार एवं दंड की वर्तमान प्रणाली को, जो भ्रष्टाचार को ऊंचे लाभ एवं कम जोखिम का कार्य बनाती है, बदलने की जरूरत है।
- विभागों और विभागों के अन्तर्गत कार्य जो पहले अनिवार्य थे परन्तु अब बेकार हैं और जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है, का पता लगाने एवं स्थिति की पुनरीक्षा करने की जरूरत है।
- प्रशासनिक प्रणाली में संविदात्मक नियुक्तियों में व्यावसायिकों/विशेषज्ञों को भर्ती करने की जांच की जानी चाहिए और भर्ती नीति में उचित नीतिगत परिवर्तन किए जाने चाहिए।
- सभी संवर्गों एवं पदों के लिए सेवा पूर्व एवं मांग आधारित सेवाकालीन क्षमता निर्माण को एक नियमित रूप दिया जाना चाहिए।
- नये कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन प्रणाली पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
- कार्य/क्रियाकलाप चलाने के वैकल्पिक तरीकों की जांच की जानी चाहिए और सरकार को यह तभी सौंपे जाने चाहिए यदि ऐसा अनिवार्य समझा जाए।
- किसी भी सृजनात्मक एवं सक्षम कार्य के लिए कार्यकाल का स्थायित्व अनिवार्य है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- जनता के साथ सरकार के संपर्क के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार अनिवार्य हैं। अधिकांशतः निजी प्रयासों, उद्यमिता शक्तियों एवं नई पहलों को लाल-फीताशाही, प्रक्रियात्मक एवं कानूनी बाधाओं की भूल-भुलैय्या में दर-किनार कर दिया जाता है जो विकास के लिए बाधक हैं।

- कार्यक्रमों एवं स्कीमों की असफलता के सर्वाधिक आम कारणों में एक कारण कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीम को दोषपूर्ण एवं अपूर्ण रूप से तैयार करना है। इन्हें अधिक व्यवस्थित एवं व्यावसायिक तरीके से तैयार करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए और ध्यान दिया जाना चाहिए।

- **परियोजना आधारित** सहायता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि इससे आपूर्ति प्रणाली को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

- **मानिटरिंग एवं मूल्यांकन** की विद्यमान कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का कार्यान्वयन उसी तरह हो रहा है जैसा निर्धारित किया गया था और वही परिणाम मिल रहे हैं जैसी परिकल्पना की गई थी।

- **शून्य आधारित बजट व्यवस्था का उपयोग करते**

हुए केंद्र प्रायोजित स्कीमों और केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीमों को युक्तिसंगत बनाना एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। (i) किसी नई केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में, जब विद्यमान स्कीम को संशोधित न किया जा सकता हो, दी जाएगी। (ii) विभिन्न सीएसएस एवं सीएस के अधीन निधियों की राज्यवार प्राप्ति की मानिटरिंग एवं जानकारी तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का मूल्यांकन अनिवार्य होगा। (iii) जहां तक संभव हो सीएसएस उस क्षेत्रक में सुधारों की शर्त पर होनी चाहिए। (iv) एक स्कीम के घटकों के बीच लचीलापन होना चाहिए।

- **कानून एवं व्यवस्था**, सुरक्षा एवं **शीघ्र न्याय** की भावना सुनिश्चित करके विकास हेतु एक उचित वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है।

- सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में परिकल्पित कुछेक महत्वपूर्ण पहलों की ई-प्रशासन और आईटी को **जनसाधारण** तक ले जाने की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। भारत में प्रयुक्त विविध भारतीय भाषाओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए साफ्टवेयर तैयार करना एक वास्तविक चुनौती है। लोगों को परस्पर संपर्क स्थापित करने एवं स्थानीय भाषाओं में कम्प्यूटरों का उपयोग करने में समर्थ बनाने हेतु उचित साफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी विकसित करने का दसवीं योजना में प्रयास होगा। स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट की उपलब्धता एवं सामग्री तैयार करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

8.6 उत्पादक आधार का सृजन

- इस समय विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत हैं। अतः इस समय ऊर्जा नीति, अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रचलित प्रणाली की तरह प्रत्येक उप क्षेत्रक के लिए प्राथमिकताओं के साथ एक एकीकृत योजना के बजाय इन विभिन्न उप-क्षेत्रकों की नीतियों का एक विचित्र समूहन है। दसवीं योजना के दौरान **एक एकीकृत ऊर्जा नीति संरचना विकसित** करने का प्रस्ताव है। अपने सचिवालय सहित एक शीर्षस्थ ऊर्जा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें ऊर्जा, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, पर्यावरण, कानून के विशेषज्ञ शामिल होंगे और यह इस क्षेत्रक की अत्यधिक पूंजी निवेश की प्रकृति को देखते हुए नीति-निर्देश देगी तथा नियमित आधार पर कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगी। इस समिति की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह होगी कि यह आर्थिक किफायत, ऊर्जा संरक्षण, उपलब्धता बढ़ाने और पयार्वरण संरक्षण के समग्र नीति लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न उप-क्षेत्रों के बीच विविध शक्तियों के क्रियाकलापों की व्यवस्था करेगी।
- विद्युत क्षेत्रक सुधारों के अत्यधिक महत्व को देखते हुए पूर्व त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ सुधार घटक शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। नये **तीव्रीकृत विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम** के अन्तर्गत 50% निवेश घटक को शामिल करने का प्रस्ताव है और शेष सुधार प्रेरित प्रोत्साहन का हिस्सा होगा। प्रोत्साहन हिस्सा सुधारकर्ता राज्यों में बराबर के अंशदान के रूप में बांटने का प्रस्ताव है जो राज्य विद्युत बोर्डों/सेवाओं के नकद घाटे में कमी अंशदान के रूप में बराबर होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- **विद्युत विधेयक** शीघ्र पारित करना अनिवार्य है। संसद में पेश किया गया मसौदा विद्युत विधेयक विद्युत से संबंधित वर्तमान तीन कानूनों के स्थान पर होगा। नया विधेयक स्वतंत्र विनियमन के अधीन विद्युत मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए विद्युत क्षेत्रक को खोल देगा। विद्युत क्षेत्रक के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- **कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000** में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में उचित संशोधन करके गैर-कैप्टिव कोयला खान में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की अनुमति का प्रस्ताव है। इस कानून को शीघ्र पारित करना अनिवार्य है।
- कोयला उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक क्षेत्र में उचित प्रतिस्पर्धा एवं समानता सुनिश्चित करने, विवादों का निबटारा करने और गवेषणा

एवं खनन के लिए कोयला ब्लाक आबंटित करने हेतु एक स्वतंत्र **विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना की जाएगी।

- इसी तरह,नियंत्रित मूल्य प्रणाली समाप्त करके, ''डाउनस्ट्रीम'' **तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रक** के लिए एक **स्वतंत्र विनियामक कार्यतंत्र** की स्थापना की जाएगी ताकि पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्रकों में प्रतिस्पर्धा एवं समानता सुनिश्चित की जा सके।

- चुनिन्दा सरकारी क्षेत्र के कोयला उत्पादक उपक्रमों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने एवं उनके पुनर्स्थापन/विनिवेश/उन्हें बंद करने के लिए व्यक्तिगत कोयला उत्पादक कंपनियों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु **कोल इंडिया लिमिटेड** की नियंत्रक कंपनी संरचना को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव हैं : (i) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित कोयला ब्लाकों को ब्लाक मुक्त करना (ii) अनिवार्य वस्तुओं की सूची से कोयले को हटाकर इसके व्यापार की अनुमति देना और (iii) कोयला उत्पादक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम,1957 का संशोधन करना। ऐसे उपायों से यह क्षेत्रक अनिवार्यतः विनियमन-मुक्त हो जाएगा और बाजार शक्तियों को स्वतंत्र क्रियाकलापों की स्वीकृति मिलेगी।

- **तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में नियंत्रित मूल्य प्रणाली (एपीएम) को समाप्त करना एवं उसे विनियमन-मुक्त** करना महत्वपूर्ण है। सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत 1.4.2002 से बाजार द्वारा निर्धारित हो जाएगी और लोक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी तेल और घरेलू उपयोग हेतु एलपीजी पर सब्सिडी बजट से पूरी की जाएगी। इन सब्सिडियों को दसवीं योजना के दौरान तीन से पांच वर्षों की अवधि में समाप्त कर दिया जाएगा।

- **ईथनाल मिश्रित पेट्रोल** (5% गैसोहल) को 8 गन्ना-उत्पादक राज्यों में 2002 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद क्रमिक रूप से शेष देश में शुरू किया जाएगा। डीजल और पेट्रोल के साथ ईथनाल मिश्रित करने का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयत्न किए जाएंगे। जैव-डीजल तैयार करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

- **भारतीय रेलवे का ढांचा कार्यकुशलता** एवं नये कार्यों में एक रुकावट है और यह उनके मुख्य क्रियाकलापों से भी ध्यान हटाता है। अतः यह प्रस्ताव है कि रेलवे केवल रेल सेवाओं के प्रावधान तक ही ध्यान केन्द्रित रखेगा तथा अन्य गैर-महत्वपूर्ण बाह्य क्रियाकलापों को नहीं लेगा।

- इसके साथ ही साथ मूल्य निर्धारण को विवेकपूर्ण,पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए यात्री एवं माल ढुलाई सेवाओं के मूल्य निर्धारण के पर्यवेक्षण हेतु एक **रेलवे टैरिफ विनियामक प्राधिकरण** की आवश्यकता है।

- इस समय **सड़कों के रख-रखाव** की संतोषजनक मानिटरिंग और उत्तरदायित्व की कमी है। यह प्रस्ताव है कि रख-रखाव क्रियाकलापों को ठेके पर प्राइवेट क्षेत्रक में देने और निर्माण संविदाओं में प्रचालन एवं अनुरक्षण को शामिल करने के तरीकों का पता लगाया जाए।

- **परिवहन क्षेत्रक** में निजी संचालकों के प्रवेश एवं संवर्द्धन के संबंध में कानूनी बाधाओं को हटाना।

- सभी **पत्तनों** में समानता लाने और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को लागू करने के लिए बड़ें पत्तनों एवं छोटे पत्तनों द्वारा स्वतंत्र रूप से शुल्कों का निर्धारण आंतरिक तौर पर किया जा सकता है। विभिन्न पण्य-धारकों के हितों की रक्षा के लिए वर्तमान विनियामक प्राधिकरण(अर्थात बड़े पत्तनों के लिए शुल्क प्राधिकरण) को एक अपीली निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है।

- **पत्तन न्यासों** को निगमित निकायों में परिवर्तित करने में समर्थ बनाने वाले कानून को शीघ्र पारित करना दसवीं योजना का एक अन्य प्रस्ताव है।

- नागरिक विमानन क्षेत्रक की पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए, विशेषकर विमान पत्तन आधार सुविधा एवं विमान परिवहन सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्रक की बढ़ती हुए महत्वपूर्ण भूमिका

को देखते हुए,समग्र रूप से **नागरिक विमानन क्षेत्रक** में विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। यह विनियामक निकाय विमान पत्तन शुल्कों, सेवाओं की गुणवत्ता और विमान पत्तन आधारित तंत्र सुविधाओं के निष्पादन की मानिटरिंग करेगा।

- क्षमता संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए **नागरिक विमानन क्षेत्रक को खुला बनाना** आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की निजी भारतीय आपरेटर्स को नीलामी की जा सकती है और विदेशी एयरलाइंस को घरेलू विमान सेवाएं प्रदान करने में भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यकुशलता सुधारने के लिए घरेलू क्षेत्रक में विदेशी इक्विटी शेयर को भी बढ़ाया जा सकता है।

- **चार मेट्रो विमान पत्तनों को पट्टे पर** निजी क्षेत्रक में देने का कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए।

- **भारतीय डाक प्रणाली** का पुनर्गठन भी दसवीं योजना की प्राथमिकता सूची में है। यह निम्नलिखित के माध्यम से किया जाएगा :

  - विचारित सुधार करने,परिवर्तन सुनिश्चित करने और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भारतीय डाक अधिनियम, 1898 के स्थान पर एक प्रगतिशील कानून की व्यवस्था।
  - संपूर्ण सब्सिडी की नीति की पुनरीक्षा करके डाक विभाग को **स्व-वित्तपोषी** बनाना। सार्वभौमिक डाक सेवा दायित्व(यूपीएसओ) को स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं अंगीकार किया जाएगा,यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यूपीएसओ के अधीन आम लोगों के उपयोग की वस्तुएं सुलभ हों और अन्य सेवाओं की लागत वाणिज्यिक आधार पर निर्धारित हो।
  - एक स्वतंत्र **विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना का प्रस्ताव है जो अन्य विनियामक कार्यों के अलावा शुल्क निर्धारण भी देखेगा।
  - **डाकघर खोलने** की नीति की पुनरीक्षा का विचार है और जहां अनिवार्य हो, नये डाकघर स्टाफ की पुनर्तैनाती के द्वारा ही खोले जाएंगे।
  - **अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी,** जो कार्य बल का लगभग आधा हिस्सा हैं, निजी स्वामित्व वाले बहु उत्पादों/बहु सेवा केंद्रों के रूप में दुकाने चलाने के लिए विभाग के "फ्रैंचाइचीज" (विशेष विक्रयाधिकारी) बनने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में एक अंशदायी पेंशन स्कीम इस कार्य योजना का एक बड़ा घटक बनाए जाने की आवश्यकता है।
  - समय के साथ चलने के लिए डाकघरों/ विक्रय केंद्रों को एक नया रूप देने और इन **बहु उत्पाद/बहुसेवा केंद्रों** को चलाने का प्रस्ताव है,जिसके लिए नेटवर्किंग एवं कम्प्यूटरीकरण के एक व्यापक कार्यक्रम का विचार है।

- दसवीं योजना के अन्तर्गत भारतीय डाक के रूप में डाक विभाग के **निगमीकरण** हेतु एक विश्वसनीय मार्गदर्शी रूप रेखा तैयार करने का प्रस्ताव है।

- नई दूर संचार नीति, 1999 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप "टेलीडेन्सिटी" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **दूर संचार क्षेत्रक** को अगले दशक या उससे आगे तक आधारिक सुविधा क्षेत्रक के रूप में माना जाना चाहिए।

- आने वाले वर्षों में इष्टतम वृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार के **कर एवं दूर संचार क्षेत्रक के लिए विनियमन की व्यापक** नीति को संवर्धनात्मक रूप देना होगा। राजस्व उत्पन्न करना इस क्षेत्रक को शासित करने वाली वृहद नीति का बड़ा निर्धारक नहीं होना चाहिए। लाइसेंस शुल्कों को सार्वजनीन सेवा दायित्व (यूएसओ) के विनियमन एवं प्रशासन की लागत के अनुरूप करने की आवश्यकता है।

- **स्प्रैक्ट्रम आबंटन एवं लाइसेंसिंग** शासित करने वाली नीति इस तरह तैयार की जानी चाहिए जिससे इस दुर्लभ संसाधन का इष्टतम उपयोग हो। स्प्रैक्ट्रम मूल्यनिर्धारण को एक गतिशील तरीके से स्थान और समय में सापेक्ष मांग एवं

पूर्ति पर आधारित किए जाने की आवश्यकता है ताकि स्पेक्ट्रम कुशल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके।

- संपूर्ण पारदर्शिता एवं जबावदेही बनाए रखने के लिए **यूएसओ शुल्क** को एक अलग शुल्क के रूप में निर्धारित एवं वसूल करने की आवश्यकता है। बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए इसकी दर बढ़ाई जा सकती है। इंटरनेट सेवा प्रदायकों को भी, जिन्हें इंटरनेट टेलीफोनी प्रदान करने की अनुमति दी गई है,अंशदान देने की आवश्यकता है क्योंकि वह संचार-तंत्र के अभिन्न अंग हैं।
- भारत को सूचना प्रौद्योगिकी की महान शक्ति बनाने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप दिसम्बर,2002 तक एक व्यापक **राष्ट्रीय हार्डवेयर विकास** नीति तैयार की जाएगी।
- एफएम रेडियो निजी क्षेत्रक के लिए खोले जाने के बावजूद इस नई एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्रसारण सेवा के लाभ अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाये हैं। दसवीं योजना में यह प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालयों,एनजीओ आदि जैसे मुनाफा न कमाने वाले संगठनों और स्थानीय समुदायों को अपने समुदायों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए **कम शक्ति के एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन** स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- यद्यपि **फिल्म क्षेत्रक** को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है परंतु **वित्तपोषण** प्राथमिक रूप से अवैधानिक एवं ''अण्डरवर्ल्ड'' स्रोतों से होता आ रहा है। दसवीं योजना का उद्देश्य ऐसी कार्य योजना स्थापित करना है जिससे सांस्थानिक साधनों के जरिए निधियों की आसान उपलब्ध सुनिश्चित हो।

8.7 सामाजिक न्याय

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों जैसे कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामाजिक-सद्भावना के सिद्धांतों पर आधारित **एक राष्ट्रीय सामाजिक न्याय चार्टर** शुरू किया जाएगा।
- राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ-साथ **भारत के जनजातियों की अधिकारिता हेतु एक राष्ट्रीय नीति** तैयार की जाएगी ताकि उसे प्रचालित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों के हल न किये गए मुद्दों और निरंतर चली आ रही समस्याओं को सुलझाना और उन्हें शेष समाज की बराबरी में लाना है।
- **विकलांग व्यक्ति अधिनियम** का प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा योजना अवधि के दौरान विकलांगों का पुनर्वास।
- **पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की राष्ट्रीय नीति** को शीघ्र अंतिम रूप देना और उसे अपनाना।
- **लोक वितरण प्रणाली** को चावल एवं गेंहू के वितरण तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। मिट्टी तेल और चीनी को इस प्रणाली से हटाया जाना चाहिए। लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मोटे अनाजों के वितरण के लिए राज्य स्तरीय स्कीमें तैयार की जा सकती हैं।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्यों** को उपभोक्ता हितों के ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन के विविधीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- खाद्य मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए **भारतीय खाद्य निगम** को समय पर बिक्री एवं खरीद के द्वारा बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह बफर स्टाकिंग एजेंसी आवश्यकतानुसार खाद्यान्नों के निर्यात एवं आयात का भी सहारा ले सकती है।
- राज्यों द्वारा **विकेंद्रीकृत खरीद एवं वितरण** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य निर्गम मूल्यों के बारे में अपने निर्णय ले सकते हैं और खाद्यान्नों की मात्रा की लोक वितरण प्रणाली आदि के माध्यम से आपूर्ति की जा सकती है। एक निर्धारित फार्मूले के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सब्सिडी राज्यों के बीच बांटी जा सकती है।

8.8 ग्रामीण भारत को शक्तिशाली बनाना

- मनमाने ढंग से भूमिगत जल निकालने को रोकने

के लिए निरंतर आधार पर **भूमिगत जल के उपयोग को विनियमित करना** दसवीं योजना में एक प्राथमिकता होगी क्योंकि भूमिगत जल के अति-शोष्ाण से जल स्तर में तेजी से गिरावट जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

- मंडी करों में कटौती और सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए **कृष्ि उत्पाद विपणन अधिनियम** का संशोधन किया जाना है।
- उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए **एकीकृत कृष्ि बाजार** निजी एवं सहकारिता क्षेत्रकों में हैं।
- दसवीं योजना के अन्तर्गत आसान और शीघ्र ऋण के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड** सभी किसानों को लाभांवित करेंगे।
- कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता के लिए **बहु-राज्य सहकारिता अधिनियम, 1984** अपनाने वाले राज्यों के संबंध में सहकारिता क्षेत्रक के लिए केंद्रीय सहायता सशर्त दी जाएगी।
- **कृष्ि व्यापार, कृष्ि उद्योग और निर्यातों** पर सभी प्रतिबंधों को हटाने की जरूरत है।
- सभी कृष्ि उत्पादों में **वायदा संविदाओं** पर प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं और चावल के मौसम बाह्य-मूल्य-निर्धारण की वर्तमान नीति वायदा व्यापार को हतोत्साहित करती है। प्राइवेट भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए इसे संशोधित करने की जरूरत है।
- यदि कृष्ि वानिकी के जरिए कृष्ि के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना है तो उसके लिए **कृष्ि-वानिकी सुधार** अनिवार्य हैं। एक ऐसी पर्यावरण नीति की जरूरत होगी जिसमें किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें, निजी-जोतों से कृष्ि वानिकी उत्पादों के कटान, परिवहन एवं विपणन पर प्रतिबंध हटाया जाए, और प्राथमिक एवं असंसाधित काष्ठ उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए **खादी एवं ग्रामीण उद्योगों** की अत्यधिक क्षमता को देखते हुए उन्हें सक्षम एवं आर्थिक रूप से समर्थ बनाना अनिवार्य होगा। उत्पादों पर ब्रांड लगाने की प्रक्रिया के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता के बिक्री योग्य माल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन हेतु बाजार विकास सहायता की छूट की नीति से हटने की सिफारिश की जाती है।

8.9 जीवन स्तर में सुधार लाना

- **अनिवार्य स्वास्थ्य देखरेख के वित्तपोष्ाण** की पुनरीक्षा करनी होगी। प्रारंभ में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सभी सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क दी जाती थीं परंतु जननांकिकी परिवर्तन, दोहरी बीमारी के बोझ एवं बढ़ती हुए कीमतों को देखते हुए इस नीति को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। दसवीं योजना में अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, आपात जीवन-रक्षक सेवाओं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन सेवाओं और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए सभी को कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने की निरंतर वचनबद्धता होगी। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को सब्सिडीयुक्त कीमत पर अन्य स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्रदान करने के प्रयत्न किए जाएंगे। गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों को नैदानिक एवं चिकित्सीय सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। विभिन्न आय वर्गों के लिए स्वास्थ्य वित्त विकल्पों का पता लगाया जाएगा। स्वस्थ जीवनचर्या को प्रोत्साहित करने के लिए प्रीमियम के बोनस रहित दावे/समायोजन को शामिल किया जा सकता है जो पिछले वर्ष के दावों पर आधारित होगा।
- केवल राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि जिलों के बीच भी स्वास्थ्य सूचकांकों, स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना एवं इसके उपयोग में भारी अंतर को देखते हुए जिला विशिष्ट **स्वास्थ्य, पोष्ाण एवं परिवार नियोजन आवश्यकताओं** का मूल्यांकन करना और तदनुसार योजना बनाना अनिवार्य है। यह पूर्व के केंद्रीकृत योजना प्रयासों से हटकर है।
- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोष्ाण क्षेत्रकों में सेवा प्रदायकों को समुचित प्रशिक्षण एवं जानकारी

दी जाएगी ताकि वह व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के निर्धारण,उन्हें प्रदान करने और सावधानीपूर्वक इनके प्रयास की मॉनिटरिंग के लिए **व्यक्तियों की जांच-पड़ताल** कर सकें।

- जैसा कि संविधान में निहित है बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा सभी संबंधितों के साथ भागीदारी करने हेतु एक **राष्ट्रीय बाल-नीति एवं चार्टर तैयार** किया जाएगा।

8.10 उद्योग एवं सेवाओं को गतिशीलता प्रदान करना

- **ग्रामीण एवं लघु उद्योगों** के लिए नीति सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी।
- विश्व व्यापार संगठन प्रणाली की अड़चनों को देखते हुए लघु उ**द्योगों को क्रमिक रूप से आरक्षण** मुक्त करना होगा।
- दसवीं योजना में **पर्यटन** संबंधी दृष्टिकोण को केवल एक विदेशी मुद्रा कमाने वाले क्षेत्रक के रूप में मानने के बजाय ऐसा क्षेत्रक माना गया है जिसकी गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार उत्पन्न करने में एक गतिशील भूमिका है। पर्यटन में सरकारी निवेश की क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यटन हेतु एक एकीकृत अंतर-क्षेत्रकीय निवेश योजना तैयार की जाएगी। पर्यटन वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना और महत्वपूर्ण नीतियां शीघ्र बनाकर एवं उनके एकीकरण के द्वारा निजी निवेश बढ़ाना आवश्यक होगा। पर्यटन उद्योग,उपभोक्ता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विनियामक ढांचे का सुझाव दिया जाता है। दसवीं योजना में भारत की एक अनूठी ब्रैण्ड छवि बनाने का भी प्रस्ताव है।
- **संपत्ति के लेनदेनों** को शासित करने वाले विभिन्न कानूनों की पुनरीक्षा और उन्हें एक व्यापक कानून में समेकित करने की आवश्यकता होगी।
- **शहरी भूमि (हदबंदी एवं विनियमन) अधिनियम, 1976** यद्यपि केंद्र द्वारा रद्द कर दिया गया है परंतु विभिन्न राज्यों में जिन्होंने अभी इसे रद्द करना है, यह प्रयोग में लाया जा सकता है जिसे तुरंत रद्द करना है।
- **किराया नियंत्रण अधिनियम** को किराये पर दी गई संपत्ति के निपटान के संबंध में किराया नियंत्रक की कठोर शक्तियों को हटाने की आवश्यकता होगी। किराया नियंत्रक को वास्तव में मालिकों से उनकी संपत्तियों के नैसर्गिक अधिकार छीनने वाली शक्तियां देने वाली सांविधि समाप्त की जानी चाहिए। किराया नियंत्रण अधिनियम को किराया (समायोजन) वार्ता एवं संपत्ति खाली करने की उचित अवधि के संदर्भ में एक समानता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- पुराने राज्य कानून जो लोकहित के नाम पर राज्यों को मनमाने ढंग से संपत्ति **अधिग्रहण** की अनुमति देते हैं,रद्द कर दिए जाने चाहिए।
- **भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899** और **भारतीय पंजीकरण अधिनियम,1908** को स्टाम्प शुल्क के भुगतान से पंजीकरण प्रक्रिया को अलग करने और विभिन्न "अनापत्ति" प्रमाणपत्रों की आवश्यकता से पंजीकरण प्रक्रिया को मुक्त करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी।
- **स्थावर संपदा क्षेत्रक** से संबंधित **कर दरों को युक्तिसंगत** बनाना होगा। राज्यों को स्टाम्प शुल्क वर्तमान 13 से 26% के स्तर से कम करके 3-5 प्रतिशत के स्तर पर लाना चाहिए और सभी राज्यों में उसे एकसमान रखना चाहिए।
- विवरणपत्रिका में दिए गए बयानों पर लागू विधि सिद्धांतों को संपत्ति की बिक्री पर भी लागू होना चाहिए। इससे हस्तांतरण पत्रों (और प्राधिकृत व्यक्तियों) के सांस्थानीकरण में सुविधा होगी जो नगरपालिका प्राधिकारियों,विद्युत बोर्डों,और कराधान विभागों के बीच **स्वामित्व प्रति-संबंधों** की जांच कर सकते हैं,भू-पंजीकरण एवं समाहर्तालय इन्हें उच्च संपर्कों से सुविधाजनक बना सकते हैं।
- **नगरपालिका सेवाओं** के प्रावधान में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शहरी सेवाएं सुधारने के लिए अपेक्षित कौशल की सुलभता के लाभ प्रदान करेगी। नगरपालिका सेवाओं का मूल्य निर्धारण इन सेवाओं के रख-रखाव एवं विस्तार हेतु पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करेगा।

- भूमि/संपत्ति के स्वामित्व के लिए वर्तमान **पंजीकरण प्रणाली** का सरलीकरण एवं आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है। इसके लिए पंजीकरण एवं अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम,2001 को शीघ्र अधिसूचित किया जाना चाहिए।
- सभी **खाली सरकारी भूमि की** नीलामी के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार एवं कार्यान्वित किया जा सकता है।
- आवास में सरकारी एवं निजी विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा माडल तैयार किया जाना चाहिए।
- परिभाष्ित नगरपालिका विकास योजना के मानदंडों के अन्तर्गत **ग्रामीण भूमि के शहरी उपयोग के लिए बाजारी** परिवर्तन की स्वीकृति दी जानी चाहिए।
- **जोन निर्धारण विनियमों** की निरंतर पुनरीक्षा के लिए एक विनियामक आयोग स्थापित किया जाना है।
- अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्व-विनियामक आधार पर कार्य कर रहे पंजीकृत/प्राधिकृत वास्तुकारों द्वारा स्थावर संपदा के विकास/पुनर्विकास हेतु योजनाओं के **समझे गए अनुमोदन** की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- **अधिग्रहण की प्रक्रिया** को तेज करने और प्रतिपूर्ति निर्धारण से भूमि को कब्जे में लेने की प्रक्रिया को अलग करने हेतु भूमि **अधिग्रहण अधिनियम, 1984** का संशोधन किया जाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति (जैसे सड़क,रक्षा) और सार्वजनिक उपयोगिताओं (विद्युत लाइनें,सिंचाई बांध/नहर) के लिए ही पूर्णतः भूमि अधिग्रहण और आवास जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों को शामिल न करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिनियम का संशोधन किया जा सकता है।
- **स्थावर संपदा** में निवेश के लिए पेंशन,भविष्य निधि और बीमा क्षेत्रकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- **स्थावर संपदा म्यूचुअल निधियों/स्थावर संपदा निवेश न्यासों** के सृजन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- **गिरवी समर्थित प्रतिभूतियों** के व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **एकीकृत कस्बों में एफडीआई** के लिए 100 एकड़ के वर्तमान निर्धारण को 50 एकड़ या कम करने की छूट दी जा सकती है,क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इतनी अधिक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती। स्थावर संपदा क्षेत्र में एफडीआई की तीन वर्ष की अवरूद्धता अवधि के साथ अनुमति दी जा सकती है और किसी भी स्थिति में निर्माण अवधि के दौरान लाभांश का प्रत्यावर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतबंध नहीं होगा।
- धोखाधड़ी वाले आपरेटरों को रोकने के लिए **स्थावर संपदा विकासकर्ताओं** के बीच एक ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

कार्यक्रम संबंधी पहलें

8.11 यद्यपि नौवीं योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्रक की भूमिका में पर्याप्त वृद्धि करना है फिर भी सरकार अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में,सेवाओं एवं सुविधाओं की व्यवस्थापक एवं सीधे प्रदायक दोनों रूपों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहेगी। अपने परवर्ती कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने और योजना के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए दसवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम एवं स्कीमें शुरू की जानी हैं अथवा परिवर्तित रूप में जोर दिया जाना है। इन कुछ उपायों का सारांश इस खंड में दिया गया है।

क्षेत्रीय असामानताएं

8.12 दसवीं योजना का एक प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन के लिए प्रयत्न करना है। बढ़ता हुआ क्षेत्रीय असंतुलन एवं अभाव तथा गरीबी के क्षेत्र कुछ समय से चिन्ता के कारण रहे हैं। यदि हमें समान एवं संतुलित विकास करना है तो उन क्षेत्रों की विकासात्मक समस्याओं को हल करना अनिवार्य है जो विद्यमान प्रयत्नों के बावजूद अत्यधिक गरीबी,निम्न वृद्धि एवं असंतोष्जनक प्रशासन से ग्रस्त हैं।

8.13 इस पृष्ठभूमि में दसवीं योजना के पूर्व-संकेत के रूप में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (एनएचडीआर) प्रकाशित की गई। यह आशा की जाती है कि एनएचडीआर राज्यों के बीच वार्ता को बढ़ावा देगी और उस विकास कार्ययोजना के आंतरिक विश्लेषण को प्रोत्साहित करेगी जिसे प्रत्येक राज्य को अपनाना है। राज्यों के बीच और राज्यों के विकास का पता लगाने के लिए परवर्ती एनएचडीआर समय-समय पर तैयार की जाएंगी।

8.14 इस समस्या को हल करने की दृष्टि से "राष्ट्रीय सम विकास योजना"(आरएसवीवाई) के रूप में दसवीं योजना में एक नई योजना चालू की जाएगी। इसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए मुख्यतः अंतरालों को भरने की दृष्टि से संकेंद्रित विकासात्मक कार्यक्रम चलाना है,जिनसे राज्यों को सुधारों की सीढ़ियां चढ़ने में मदद देने के अलावा असंतुलन कम करने,विकास में तेजी लाने और इन क्षेत्रों से गरीबी मिटाने में भी सहायता मिलेगी।

8.15 यह कार्य योजना आरएसवीवाई के अधीन अतिरिक्त अनुदानों के द्वारा विकास प्रक्रिया में सहायता देने की है बशर्ते संबंधित राज्य सरकारें सुधारों के स्वीकृत कार्यक्रमों को हाथ में लें। नौवीं योजना के विकास संबंधी अनुभव ने प्रदर्शित किया है कि विकास प्रक्रिया में केवल निधियां ही रूकावट नहीं हैं। प्रशासनिक एवं राजकोषीय संरचना में सुधार,सामान्य लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित नीतियों में सुधार और किस रूप में वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं,इनका संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। अधिकांशतः यह उन तौर तरीकों से संबंधित है जिनमें सेवा-प्रदायगी एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में विद्यमान नियम एवं विनियम प्रयोग/वर्णित किए जाते हैं और जो सेवाओं की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा गरीबों एवं कमजोरों को समानता प्रदान नहीं करते। आरएसवीवाई के अन्तर्गत सभी राज्यों को निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है बशर्ते एक करार ज्ञापन के जरिए वह पारस्परिक रूप से सहमत सुधारों के लिए राजी हों। प्रत्येक सुधार के तटस्थ रूप से सत्यापन योग्य संकेतक/कीर्तिमान होने चाहिए और सु-परिभाषित समय-सीमा होनी चाहिए।

8.16 आरएसवीवाई एक शत-प्रतिशत अनुदान होगा ताकि सुधार लाने के लिए राज्यों हेतु यह एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सके। यह चालू स्कीमों के अधीन निधियों की वर्तमान प्राप्ति के अतिरिक्त होगा। निधियां निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाएंगी।

8.17 बिहार के लिए विशेष योजना का प्रस्ताव है जो अभी तक सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से एक है। निधियां प्रदान करना पारस्परिक सहमत सुधारों के कार्यान्वयन की शर्त पर होगा और राज्य के द्वि-विभाजन से उत्पन्न कुछ समस्याओं को कम करने के लिए विद्युत,सिंचाई,जलसंभरण विकास,संयोजनशीलता आदि जैसे महत्वपूर्ण चुने गए क्षेत्रों के लिए निधियां प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य नई सेवा-प्रदायगी प्रणालियों का उपयोग करना है ताकि इन क्षेत्रकों में विद्यमान रुकावटों को दूर किया जा सके और राज्य के भावी विकास के लिए आधारभूत संरचना प्रदान की जा सके।

8.18 उड़ीसा के कोरापट, बोलंगीर,कालाहांडी (के.बी.के.)जिलों के लिए भी एक विशेष योजना होगी जो सर्वत्र गरीबी एवं अभाव से ग्रस्त दूसरे क्षेत्र हैं। इस योजना घटक का उद्देश्य चुने गए नाजुक क्षेत्रों में सम्मिलित कार्रवाई के जरिए उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में निरंतर गरीबी एवं कठिन जीवन स्थितियों में कमी लाना है जिससे सूखे से बचाव सुनिश्चित होगा, आजीविका में मदद मिलेगी,बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी, साथ ही साथ कमजोर वर्गों को विशिष्ट सहायता मिलेगी। अतिरिक्त निधियों का उपयोग निर्धारित तरीके से करने का उद्देश्य है ताकि इस क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से स्पष्ट परिणाम प्राप्त हो सकें। बिहार की तरह निधिपोषण को पारस्परिक रूप से सहमत सुधारों के कार्यान्वयन से जोड़ा जाएगा।

8.19 अध्ययनों से यह प्रदर्शित हुआ है कि राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि राज्यों के अंदर एवं जिलों के बीच भी काफी अंतर विद्यमान हैं। एक सौ सर्वाधिक पिछड़े जिलों को आरएसवीवाई के अधीन विशेष ध्यान देने के लिए अपनाया जाएगा। योजना के पहले वर्ष अर्थात 2002-2003 में 25 जिलों को "पायलट" आधार पर, 35 जिलों को अगले वर्ष और शेष 40 जिलों को 2004-2005 में हाथ में लिया जाएगा। स्कीमों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को चुने गए जिलों के संबंध में योजनाएं तैयार करनी होगी जिससे अत्यधिक अंतरालों को पूरा करने में मदद मिलेगी या यह जिले के भावी विकास के लिए उत्प्रेरकों के रूप में कार्य कर सकेंगी। जिला प्राधिकारियों से आशा की जाती है कि वह विद्यमान संस्थाओं,गैर सरकारी संगठनों और नई सेवा प्रदायक प्रणालियों का उपयोग करेंगे ताकि इस स्कीम के अधीन अतिरिक्त रूप से प्रदत्त निधियों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। जिलों को निधियां तभी प्रदान की जाएंगी

जब वह निर्धारित प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक शर्तों/सुधारों के लिए राजी हों।

8.20 राज्यों की विकास रूपरेखा पर गुणवत्ता संदर्भित दस्तावेज प्रस्तुत करने, अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने और त्वरित वृद्धि के लिए कार्ययोजना निर्धारित करने में मदद पहुंचाने के लिए योजना-आयोग ने **राज्य विकास रिपोर्टें** तैयार करने की प्रथा शुरू की । यह सोचा गया है कि प्रत्येक पांच वर्षों में राज्यों के समन्वय से तैयार यह रिपोर्टें उनकी विकास कार्यसूची को तैयार करने और अंतरा-राज्य तुलना करने में सहायक होंगी।

8.21 सरकारी क्षेत्रक में लोक सेवाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं जन सेवा प्रदायगी के माडलों का पता लगाने एवं उन्हें प्रकाश में लाने के लिए योजना अयोग द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्र एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समन्वय से **सफल शासन उपायों एवं कार्यान्वयन की सर्वोत्तम पद्धति का मैनुअल** तैयार करने का प्रस्ताव है। इस मैनुअल का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच दोनों स्तरों पर जानकारी आदान-प्रदान के लिए सफलता का इतिहास लिपिबद्ध करना है।

8.22 योजना आयोग की **परियोजना विनिर्माण सुविधा** की स्थापना उन कम विकसित राज्यों की समस्याओं के प्रत्युत्तर में की गई थी जो सांस्थानिक एवं विदेशी निधिपोषण को आकर्षित करने निधियन के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं द्वारा अपेक्षित स्तर की परियोजनाएं तैयार करने में असमर्थ हैं। यह राज्यों द्वारा विदेशी निधियों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे कम विकसित राज्यों को सांस्थानिक एवं विदेशी संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

8.23 **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना** (एसजीएसवाई) के माध्यम से स्व-रोजगार की कुंजी के रूप में सामाजिक गतिशीलता एक नया दृष्टिकोण है जिसे दसवीं योजना में बढ़ावा एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एसजीएसवाई की योजना गरीबों के लिए प्रक्रियोन्मुखी कार्यक्रम के रूप में की गई है जिसमें स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी) के गठन पर जोर दिया गया है। यह एक संपूर्ण कार्यक्रम है जो अधिकांशतः एसएचजी के माध्यम से संचालित हो रहा है जिसमें लघु वित्त, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का प्रावधान है। आधार संरचना विकास, बाजार संपर्कों की स्थापना एवं बेहतर मानिटरिंग तथा सामयिक मूल्यांकन इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं।

8.24 चुने गए पिछड़े जिलों में 100 दिनों के लिए संपूर्ण **ग्रामीण रोजगार योजना** (एसजीआरवाई) के माध्यम से आश्वासित मजदूर रोजगार एक अन्य नई कार्य योजना है जिसे दसवीं योजना में बढ़ावा दिया जा रहा है। एसजीआरवाई मजदूरी-रोजगार उत्पन्न करने,स्थिर ग्रामीण परिसंपत्तियों एवं अवसरंचना के सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रावधान पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की पहचान, चयन एवं निष्पादन,अवसंरचना सृजित करने, जल संभरण विकास एवं सूखे से सुरक्षा हेतु दीर्घकालिक कार्ययोजना का एक हिस्सा होगा। यह कार्यक्रम पंचायतों की अधिकारिता एवं निर्माण कार्यों के लिए निर्णय लेने एवं उनके निष्पादन में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी पर जोर देता है।

8.25 **जय प्रकांश रोजगार गारंटी योजना (जेपीआरजीवाई)** के माध्यम से सर्वाधिक उत्पीड़ित लोगों को रोजगार गारंटी दसवीं योजना में एक नया कार्यक्रम संबंधी उपाय है जो देश के सर्वाधिक संकटापन्न जिलों में बेरोजगारों को रोजगार गारंटी प्रदान करता है। एक कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने के लिए कार्यबल का गठन किया गया है। इसमें मजदूरी और स्वरोजगार दोनों घटक होंगे।

8.26 **भूमि उपयोग नीति और परती भूमि के विकास** के लिए एक समन्वित प्रयास एक नई पहल होगी। भू-संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबधित सभी कार्यक्रमों विशेषकर विभिन्न विभागों में बिखरी जल संभरण और परती भूमि विकास संबंधी स्कीमों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित सांस्थानिक आधार संरचना को ग्रामीण विकास मंत्रालय में भू-संसाधन विभाग की परिसीमा के अधीन लाने की जरूरत है। इसके अनुसरण में लोक नायक जय प्रकाश नारायण भूमि एवं जल संभरण मिशन की स्थापन का प्रस्ताव किया जाता है जिसके द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों द्वारा संचालित स्कीमों को छोड़कर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित सभी जल संभरण एवं मृदा संरक्षण संबंधी स्कीमें इस मिशन की परिसीमा के अधीन लाई जाएंगी।

8.27 अप्रयुक्त परती एवं बेकार भूमि के विशाल क्षेत्रों और

उनकी अत्यधिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना में लोगों की भागीदारी से **परती भूमि को हरा भरा बनाने** की एक नई स्कीम चलाई जाएगी। इस नई स्कीम में मुख्य जोर सरकारी परती भूमि को समुदायों या भूमिहीन ग्रामीण गरीबों में बांटने पर दिया जाएगा। भूमि के आबंटितियों को परती भूमि विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि पारिस्थितिकी जोनों के लिए उचित पौधे लगाने, औषधीय पौधे, बांस, जैव ईंधनों और ग्रामीण गरीबों की खाद्य एवं पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पौधों की किस्मों को इन परती भूमियों में लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा। औषधीय पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए इनको लगाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जैव ईंधन प्रणालियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि वह खनिज ईंधन का निरंतर विकल्प प्रदान करेंगे और उसके आयात में कमी लाएंगे।

8.28 **पुरानी सिंचाई परियोजनाओं/प्रणालियों** को पूरा करने या उनके पुनर्स्थापन को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ऐसी अनेक काफी पुरानी अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें से कुछ पांचवीं योजना अवधि से पहले की है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का लक्ष्य भी पहले कदम के रूप में पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने का है। बडी,मझौली एवं लघु सिंचाई प्रणालियों विशेषकर टैंकों के टूट जाने से उत्पन्न क्षमता हानि को विस्तार,आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के जरिए बहाल करने की ओर ध्यान दिया जाएगा।

8.29 **सिंचाई परियोजनाओं के अनुरक्षण** में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करती है परंतु अनुरक्षण की कमी के कारण उनमें मिट्टी आदि भर जाती है/क्षति ग्रस्त हो जाती हैं और पानी की पूरी मात्रा नहीं दे पाते जिससे अन्त्य उपयोगकर्ताओं को समस्या उत्पन्न होती है। यदि समुदाय जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम

बाक्स 8.2

कृषि क्षेत्रक में सुधार हेतु एकीकृत प्रयास

- परती एवं बेकार भूमि का उपयोग करना (विस्तृत विवरण ऊपर दिया गया है)।
- केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए वृहद प्रबंध उपाय।
- ऋण प्रवाह में सुधार एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- अन्य के साथ-साथ औषधीय एवं सुगंध वाले पौधों की खेती,जैव ईंधन बागवानी,कृषि वानिकी,तिलहनों,दालों आदि द्वारा फसल प्रणाली का विविधीकरण।
- सामग्रियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खेती।
- जैविक खेती।
- एकीकृत पोषक प्रबंध।
- जीव वैज्ञानिक नियंत्रणों का उपयोग करते हुए एकीकृत कीट रक्षण प्रबंध।
- उन्नत औजार एवं मशीनरी।
- ठेके पर खेती।
- पट्टे पर लेना और देना।
- कृषि विज्ञान केंद्रों के विस्तार,प्रिंट मीडिया के उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी,कृषि क्लीनिक जैसे उपायों आदि द्वारा विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- अग्रणी प्रौद्योगिकियों विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- सुविधा, रक्षण एवं निर्यातों के लिए उन्नत भंडारण प्रणालियां एवं शीत श्रृंखलाएं।
- चुनीन्दा प्रजनन द्वारा देशी नस्ल के पशुओं की नस्ल सुधारना एवं संरक्षण।
- रोग मुक्त जोनों की स्थापना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए दूध की गुणवत्ता में सुधार,विशेषकर क्योंकि भारत अब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।
- शामिल न किए गए,पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिए "आपरेशन फ्लड" का विस्तार।
- चारा एवं पशु आहार का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ाना होगा।

से इन प्रणालियों का अनुरक्षण करते हैं, तो इनकी व्यवस्था अधिक समान एवं बेहतर रूप से होगी।

8.30 चूंकि कृषि क्षेत्रक दसवीं योजना का महत्वपूर्ण विषय है और अधिकांश नये रोजगार के अवसर इस क्षेत्रक में उत्पन्न होने जा रहे हैं अतः इस क्षेत्रक में कृषि **उत्पादकता सुधारना** और **रोजगार अवसर उत्पन्न करना** महत्वपूर्ण है। इस दिशा में एकीकृत उपाय अपनाने होंगे, कुछ पूर्वापेक्षाओं/घटकों का उल्लेख बाक्स 8.2 में किया गया है।

8.31 संयुक्त वन प्रबंध (जेएफएम) के सार्वभौमीकरण पर वन क्षेत्र में मुख्य जोर दिया जाएगा। ऐसी सूचना है कि आबादी केंद्रों/गांवों के समीप के वन क्षेत्रों से अंधाधुंध वन उत्पाद निकालने, चराई,अतिक्रमण आदि के कारण उन वन क्षेत्रों की तुलना में जो बस्तियों से दूर हैं और दुर्गम क्षेत्रों में है तेजी से अवक्रमण होता है। भागीदारी एवं इक्विटी शेयर के सिद्धांत पर आधारित संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा ने अवक्रमिता वनों के सुधार एवं वनों पर निर्भर आबादी की अर्थव्यवस्था सुधारने में भी उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। दसवीं योजना के दौरान चरणबद्ध रूप से जेएफएम के अधीन सभी वनों के समीप वाले गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव है। जेएफएम समितियों के फेडरेशन्स के रूप में प्रत्येक जिले में वन विकास एजेंसियों का गठन उन्हें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

उद्योग एवं सेवाएं

8.32 इस बात को देखते हुए कि ग्रामीण,लघु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अत्यधिक वृद्धि की क्षमता है, इस असंगठित क्षेत्रक को एक महत्वपूर्ण कार्ययोजना के रूप में देखा जा रहा है। बाजार निर्धारित अर्थव्यवसथा में प्रतिस्पर्धी बने रहने और योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु निम्नलिखित पर जोर दिया जाएगा :

- वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण
- प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए निधियां
- पर्याप्त आधारिक सुविधाएं
- आधुनिक परीक्षण सुविधाएं एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाएं
- आधुनिक प्रबंध पद्धतियां एवं कौशल उन्नयन
- बाजार सहायता
- संगठित क्षेत्रकों की तरह समानता लाना

8.33 **नारियल जटा उद्योग** सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इस क्षेत्रक के 12 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। अन्य ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्रदत्त सामान्य सुविधाओं/दशाओं के अतिरिक्त उत्पाद विविधीकरण,नये उत्पादों के विकास, व्यापार सूचना सेवा शुरू करने, नारियल जटा पर अनुसंधान एवं विकास तथा उपलब्ध नारियल भूसी के पूर्ण उपयोग के लिए गैर-परम्परागत राज्यों में नारियल जटा यूनिटों के विस्तार पर जोर दिया जाण्गा।

8.34 **ऊन एवं ऊन उत्पादों** के क्षेत्रक में रोजगार की अत्यधिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्रक को नई दिशा देना भी महत्वपूर्ण होगा। प्रति भेड़ ऊन की उत्पादकता बढ़ाने और अंगोरा एवं पश्मीना ऊन मिश्रित करके उत्पादों के विविधीकरण की कार्य-पद्धतियां तैयार करने हेतु एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है।

8.35 पर्यटन उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विश्व श्रेणी के **टूरिस्ट सर्किटों एवं पर्यटन स्थलों** का विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

8.36 **निर्यात आधार संरचना एवं सहयोगी क्रियाकलापों** की एक नई स्कीम का उद्देश्य निर्यात निष्पादन से संबद्ध सहायता के माध्यम से निर्यात आधार संरचना एवं सहयोगी क्रियाकलापों के विकास में राज्य सरकारों की भागीदारी के लिए एक कार्यप्रणाली स्थापित करना है जिसके परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन के लिए अपेक्षित आधार संरचना में साथ-साथ वृद्धि हो सकेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्यातों के लिए अनुपूरक आधार संरचना विकास परियोजनाओं,नये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों के सृजन एवं विद्यमान पार्कों में सुविधाएं बढाने, छोटे पत्तनों के विकास, व्यापार के लिए आम सुविधा केंद्रों की स्थापना,एसईजेड की स्थापना सहित आधार संरचना परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी,राष्ट्रीय क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं,पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के संदर्भ में ईडीएफ के अनुसार स्वीकृत क्रियाकलापों को चलाया जाएगा।

8.37 **बाजार उपलब्धता पहल** एक अन्य नई स्कीम है जिसके द्वारा एक ऐसे उपाय (दस्तावेज) को तैयार करना है जो केवल डब्ल्यूटीओ के अनुरूप ही नहीं होगा बल्कि प्रतियोगी देशों में अपने प्रतियोगियों की तुलना में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न कठिनाइयों के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करेगा। इस स्कीम के व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार एवं वाणिज्य से संबद्ध प्राथमिकतावार अनुसंधान क्षेत्रों का पता लगाना,अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित करना,ऐसे अध्ययनों के परिणामों का प्रचार प्रसार एवं उन पर चर्चा,बाजार सर्वेक्षण/अध्ययनों के लिए व्यापार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय विभागीय,भंडार संवर्धन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्यातकों एवं निर्यात व्यापार परिषद को सहायता, भारत, भारतीय उत्पादों एवं भारतीय ब्रांडों का संवर्धन आदि शामिल है। चुने गए उत्पाद समूहों के लिए राज्यों के निर्यात क्षमता सर्वेक्षणों को चलाने हेतु राज्य सरकारों के प्रयत्नों को भी सहायता दी जाएगी।

8.38 **आटोमोटिव उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को** उद्योग की भागीदारी से कार्यान्वित किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा एवं पर्यावरणीय विनियमों के अनुसार आटोमोटिव उद्योग में परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं में सुदृढ़ता आएगी। विद्यमान सुविधाओं के अलावा दसवीं योजना में दो नई सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। दो नई परीक्षण सुविधाओं में अति-विशिष्ट विकासात्मक सुविधाएं शामिल हैं जो इस समय उपलब्ध नहीं है।

8.39 **औद्योगिक बस्ती विकास स्कीम** आवश्यकता आधारित एवं विशिष्ट रूप से निर्मित हस्तक्षेपों के लिए उच्च वृद्धि क्षमता वाली औद्योगिक बस्तियों का पता लगाएगी। इस स्कीम में मुख्य जोर अगतिशील स्थानीय कार्यकुशलता को गतिशील प्रतियोगिता में परिवर्तित करने के लिए विद्यमान बस्तियों में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने पर दिया जाएगा। अंतर-फर्म सहयोग विकास, नवीकरण एवं सामूहिक शिक्षण को बढ़ावा देने,उचित आधार संरचना सहायता एवं सेवा नेटवर्क,आम सुविधाओं की स्थापना,समुचित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता,सूचना की साझेदारी एवं गुणवत्ता सुधार के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

8.40 **प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम** का उद्देश्य वैश्विक पण्यधारियों की तुलना में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारना है। प्रभावकारी रूप से प्रतिस्पर्धा हेतु भारतीय कंपनियों को बेंचमार्क प्रौद्योगिकी हासिल करने में सहायता देना/उन्हें उन्नत करने का इरादा है।

8.41 **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम** से आशा की जाती है कि इससे वस्त्र उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं समग्र दीर्घकालीन क्षमता बनाए रखने एवं उसे सुधारने में मदद मिलेगी। उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए आधुनिकीकरण प्रयत्न के लिए यह एक केंद्रीय स्थान प्रदान करेगी। इस प्रयत्न में वस्त्र उद्योग के सभी उप-क्षेत्रक जैसे कताई, बुनाई,प्रसंस्करण,वस्त्र बनाना, कपास की ओटाई,प्रेसिंग एवं जूट क्षेत्रक शामिल हैं।

8.42 **भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण** का पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि यह आधुनिक अवधारणाओं एवं तकनीकों को अधिकाधिक अपना कर क्षेत्रीय आधार पर खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। हवाई एवं समुद्री सर्वेक्षणों में तेजी लाई जाएगी और आंकड़ों के संश्लेषण एवं प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह संगठन सभी घरेलू एवं विदेशी दोनों भावी निवेशकों के लिए "फर्स्ट स्टाप शॉप" के रूप में प्रभावकारी रूप से कार्य कर सके।

जीवन स्तर

8.43 "स्वाप" के जरिए **परिवार कल्याण कार्मिकों का पुनर्गठन** स्वास्थ्य प्रणाली की आंशिक पुनर्संरचना का एक प्रयत्न है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों ही परिवार कल्याण सेवाओं का निधिपोषण कर रही हैं। यह द्वैध निधिपोषण कार्यप्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के रास्ते में बाधाकारक है और इससे राज्यों द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में भी विलम्ब होता है। "स्वाप" व्यवस्था के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत सरकार उपकेंद्रों में सभी 1.37 लाख सहायक नर्स मिडवाइव्स(एएनएम) का निधिपोषण करेगी ओर राज्य ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्रों एवं प्रसवोत्तर केंद्रों की स्थापना को अपने हाथ में ले लेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों,विशेषकर असंतोषजनक निष्पादन वाले राज्यों,जहां एएनएम की कमी एक बड़ी समस्या रही है, में सेवाओं के कवरेज में सुधार की आशा है।

8.44 औषधि नियंत्रण संगठन एवं औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके औषधियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए **औषधि सुरक्षा** सुधारना एक बड़ा कार्यक्रम होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धतियां एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा स्थापित औषधीय वनस्पति बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू एवं निर्यात बाजारों दोनों के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को उत्तम स्तर की औषधीय वनस्पतियां प्राप्त हों।

8.45 **राष्ट्रीय पोषाण मिशन** की स्थापना अल्पपोषाण कम करने और सूक्ष्म पोषाण कमियों को दूर करने के उद्देश्य से की जाएगी। यह मिशन विद्यमान कार्यक्रमों को समन्वित एवं सुदृढ़ करेगा, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा तथा प्राकृतिक विपदाओं में राहत प्रदान करेगा।

8.46 **अल्पपोषित किशोरियों** को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किए जाएंगे और परिवारों को पोषाण शिक्षा दी जाएगी,जिसका उद्देश्य 51 पिछड़े जिलों में एक पायलट परियोजना के अधीन उचित अंतरा-परिवार खाद्यान्न वितरण करना है।

8.47 महिला अधिकारिता की राष्ट्रीय नीति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए एक **राष्ट्रीय महिला अधिकारिता कार्य योजना** तैयार की जाएगी। इसकी मुख्य बातें हैं : भागीदारों का पता लगाना,कार्य बिन्दुओं का निर्धारण एवं प्रगति की मानिटरिंग।

8.48 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक **राष्ट्रीय बाल आयोग** की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह यह आयोग व्यक्तिगत शिकायतों एवं कठिनाइयों की छानबीन करेगा एवं उनका समाधान करेगा और जहां आवश्यक हो अपेक्षित कानूनी सहायता एवं सेवाएं भी प्रदान करेगा।

8.49 दसवीं योजना के दौरान देश के सभी 5652 ब्लॉकों में **एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम** का (आईसीडीएस) सर्वसुलभीकरण प्राप्त कर लिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और हेल्पर (एडब्ल्यूएच), जो आईसीडीएस के लिए सर्वाधिक प्रत्यक्ष आधारभूत कार्यकर्ता हैं, अन्य विकास क्रियाकलापों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनको उचित प्रतिपूर्ति देने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए 1.4.2002 से उनका मानदेय दुगुना कर दिया गया है।

8.50 **सर्व शिक्षा अभियान** (एसएसए) और **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन** (एनएलएम) प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। एसएसए का उद्देश्य 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालयों या अन्य स्थानों पर दाखिल कराना और 2007 तक प्राथमिक स्कूली शिक्षा के पांच वर्ष पूरे करने का है। एनएलएम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए यह सुनिश्चित करेगा कि नव-साक्षर पुनः निरक्षरता की ओर न चले जाएं।

8.51 **माध्यमिक शिक्षा** पर अधिक जोर देना योजना की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी। सर्व शिक्षा अभियान के ''सभी के लिए शिक्षा'' कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर पर 2003 तक सभी का दाखिला और 2010 तक सभी का विद्यालयों में रहना एवं उपलब्धि सुनिश्चित होगी। इसके कारण माध्यमिक शिक्षा के लिए मांग बढ़ेगी। दसवीं योजना में सरकारी क्षेत्रक में अधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने और निजी न्यासों,धार्मिक/मिशनरी संस्थाओं तथा लोक भावना वाले संगठनों की मदद से भी विद्यालय खोलने के कदम उठाए जाएंगे।

8.52 दसवीं योजना के दौरान **विद्या वाहिनी कार्यक्रम** के द्वारा 140 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर से जोड़ने और **ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम** के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी आधार संरचना उन्नत करने का प्रस्ताव है। बाद में निजी क्षेत्रक को शामिल करते हुए अन्य विद्यालयों एवं कालेजों में भी इन कार्यक्रमों को चलाने के प्रयत्न किए जाएंगे।

8.53 दसवीं योजना में **शिक्षा का व्यावसायीकरण** एक नया महत्व का क्षेत्र होगा। पूर्व उल्लिखित सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा उपायों के परिणामस्वरूप अनेक माध्यमिक उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बढ़ रही है जबकि इनमें से अनेक उच्चतर अध्ययनों में जाएंगे अन्य को व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत होगी। यह उन्हें उचित रोजगार अवसरों को प्राप्त करने में बेहतर रूप से तैयार करेगी। इसे देखते हुए शिक्षा के व्यावसायीकरण पर एक स्पष्ट एकीकृत नीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है।

8.54 विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय हितों तथा भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए भारत में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रचालन को विनियमित करने के लिए सरकार **विदेश में भारतीय शिक्षा संवर्धन समिति** का गठन करेगी।

8.55 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों,अन्य इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेकनिक्स में **तकनीकी शिक्षा** की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी जो नये पाठ्यक्रमों के लिए उपस्कर एवं निधियां प्रदान करके और शिक्षा सामग्रियों के विकास द्वारा की जाएंगी। सूचना के **आन लाइन** आदान प्रदान के लिए संस्थाओं की नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.56 **आईटी व्यावसायिकों** की भर्ती 2002 तक दुगुनी और 2003 तक तिगुनी की जानी है।

8.57 खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभा उत्पन्न करने के लिए निजी संगठनों/कंपनियों एवं राज्य सरकारों के सहयोग से राज्यों में **खेल अकादमियां** स्थापित की जाएंगी।

8.58 पहली बार **किशोरों के संपूर्ण विकास** के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए सेवा प्रदायगी कार्यतंत्र अधिकांशतः एनजीओ के सहयोग से होगा। स्वास्थ्य, पोषाण, शराब/नशे की लत, जीवन कौशल मुद्दों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हल किया जाएगा। लिंग भेद एक मुख्य चिन्ता का विषाय होगा और राष्ट्र निर्माण क्रियाकलापों में किशोरों को शामिल करने, स्वास्थ्य, पोषाण, परिवार नियोजन, एचआईवी/एड्स, सफाई, पर्यावरण आदि पर जागृति उत्पन्न करने के प्रत्यत्न किए जाएंगे।

8.59 देश के 5000 ब्लॉकों में प्रत्येक में **युवा विकास केंद्रों** की स्थापना की जानी है। यह केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में भी कार्य करेंगे।

8.60 निजी संग्रहों सहित **दुर्लभ पांडुलिपियों** के संरक्षण की दृष्टि से ऐसी पांडुलिपियों को लिपिबद्ध किया जाएगा।

8.61 **शहरी सुधार प्रोत्साहन** निधि एक नया उपाय है जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रक में सुधार चलाने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाएंगी। इन सुधारों में शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम निरस्त करना, किराया नियंत्रण कानून का सुधार, स्टाम्प शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाना, संपत्ति लेनदेनों के पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, संपत्ति करों की वसूली संबंधी कार्यकुशलता एवं प्रणाली में सुधार, जल आपूर्ति एवं अन्य सेवाओं के लिए वास्तविक उपभोक्ता शुल्कों की उगाही और नगरपालिका खातों में दोहरी प्रविष्टि अपनाना शामिल है। राज्यों से आशा की जाती है कि वह शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के साथ समझौता-ज्ञापन करेंगे और सुधार उपायों को सहमत समय-सीमा के अंदर कार्यान्वित करने की वचनबद्धता करेंगे।

8.62 **शहरी चुनौती निधि** शहरी नागरिक सेवाओं की पुनर्रचना की अंतर्वर्ती एवं लेनदेन लागत पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करेगी। पुनर्रचना कार्यों का उद्देश्य सेवा गुणवत्ता एवं सेवा कार्यकुशलता सुधारना, घाटों को कम करना, पर्याप्त राजस्व जुटाना और परियोजनाओं को सक्षम एवं भरोसेमंद बनाना है।

8.63 **वित्त विकास सुविधा की पूर्लिंग** अपेक्षतया छोटे ऐसे शहरी स्थानीय निकायों को समर्थ बनाने की अन्य एक पहल है जो बांडों के माध्यम से निधियां जुटाने और बाजार उधारों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्लिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से वित्तीय बाजारों में नहीं जा सकते। एक राज्य स्तरीय एजेंसी (अर्थात शहरी विकास निगम) पूर्लिंग की व्यवस्था करेगी और बाजार से कुल अपेक्षित निधियां जुटाएगी। यह सुविधा अपेक्षित सुधार उपाय चलाने के लिए नगरपालिका निकायों की मदद करेगी ताकि ऋण शोधन के लिए उनकी क्षमता बन सके। यह सुविधा ऋण शोधन आरक्षित निधि में अंशदान के जरिए अदायगी के कुछ हिस्से का वित्तीय दायित्व भी स्वीकार करेगी जिससे भागीदार यूएलबी के क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी और अपने उधारों के लिए बेहतर शर्त पाने में मदद मिलेगी।

8.64 **सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के नवीकरण** से उनकी आधार संरचना के उन्नयन एवं नागरिक सुविधाओं के लिए अनुदानों से ऐसे चुनींदा शहरों को मदद मिलेगी। यह शहर काफी संख्या में तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को भी आकर्षित करेंगे अतः उन्हें नागरिक सेवाओं एवं आधार-संरचनाओं की मांग पूरी करने के लिए सहायता की जरूरत है।

8.65 शहरी सफाई मिशन भी एक नई पहल होगी जिसमें शहरी ठोस कचरे के लिए सफाई **लैंड फिल्स** एवं कम्पोस्टिंग प्लांट्स की स्थापना तथा शहरी क्षेत्रों में मलजल निकासी के सुधार पर ध्यान दिया जाएगा।

सामाजिक न्याय

8.66 राज्य सरकारों/जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और मानवविज्ञानियों/विशेषाज्ञों के इस विषाय पर परामर्श से **आदिवासी जनजातीय समूहों** के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जाएगी।

8.67 अलाभान्वित लोगों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बजट में **कमजोरों के लिए कम्पोनेंट प्लान** शुरू करने का प्रस्ताव है, ताकि यथासंभव अधिक से अधिक अपंगों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाया जा सके।

8.68 उद्योग एवं सरकार के बीच भागीदारी से एक **कौशल विकास निधि** (एसडीएफ) स्थापित की जाएगी जिसमें बड़ा स्वैच्छिक अंशदान उद्योग से आएगा। एकत्रित संसाधनों का उपयोग उसी स्थान पर प्रशिक्षण आधार संरचना स्थापित करने के लिए किया जाएगा जहां से वह एकत्र की गई हैं। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण से संगठित क्षेत्रक में नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों एवं मजदूर संघों सहित लाभार्थियों से संसाधन आकर्षित करना है। किए गए अंशदानों पर आयकर प्रोत्साहन पर भी विचार किया जा सकता है।

8.69 एक **योग्यता आधारित प्रमाणन प्रणाली** शुरू की जाएगी। जहां संगठित क्षेत्रक में प्रवेश करने वाला व्यक्ति सामान्यतः कुशल होता है और तदनुसार परिश्रमिक प्राप्त करता है परंतु असंगठित क्षेत्रक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति जो श्रम बाजार के नये प्रवेशार्थियों के 90 प्रतिशत से अधिक होते हैं सामान्यतः औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं होते। वे काम करते हुए सीखते हैं। कार्य से प्राप्त दक्षता/कौशल के परीक्षण एवं प्रमाणन की प्रणाली यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्रक में स्थापित की जाएगी पर उसे व्यावसायिक निकायों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इससे असंगठित क्षेत्रक, विशेषकर विनिर्माण,निर्माण एवं सेवाओं में लगे श्रमिकों को काफी फायदा होगा।

8.70 **असंगठित क्षेत्रक के लिए पेंशन प्रणाली** दूसरा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान पेंशन प्रणाली संगठित क्षेत्रक तक सीमित है जिसके अन्तर्गत श्रम बल का 1/10 से कम हिस्सा आता है। असंगठित क्षेत्रक में भारी संख्या में स्व-नियोजित व्यक्ति हैं परंतु उनके पास सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचतों पर जोखिम मुक्त एवं उचित प्रतिफल कमाने की कोई कार्य- प्रणाली नहीं है। दसवीं योजना के दौरान असंगठित क्षेत्रक के लिए एक आत्म-निर्भर पेंशन प्रणाली तैयार करने का प्रस्ताव है। इससे संगठित क्षेत्रक में पेंशन सुधारों को भी सहायता मिलेगी।

अन्य अनिवार्य वैकल्पिक उपाय

8.71 आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उत्प्रेरण एवं उसमें तेजी लाने के लिए **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रकों में दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह निरंतर विकास एवं आत्मनिर्भरता के लिए योगदान में अग्रणी भूमिका निभाती है। अब यह अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि जहां भौतिक आधार संरचना में निवेश महत्वपूर्ण है वहां यह बौद्धिक आधार संरचना है जिसे नये नये वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उपायों से प्राप्त किया गया है और यह भारत को तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगी। दसवीं योजना के दौरान अनेक समयबद्ध कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:

- विकासात्मक कार्यक्रमों में रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली का प्रचालन।
- भू-सहगामी अंतरण कक्ष में 4 टन क्लास इंसैट उपग्रह स्थापित करने हेतु भावी पीढ़ी संप्रेक्षण वाहन एवं पुनः उपयोगी प्रेक्षण वाहनों के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों हेतु प्रौद्योगिकी विकास।
- मल्टी मोड, मल्टी पोलराइजेशन एमाइल सिंथेटिक अपरचर राडार के साथ राडार इमेजिंग सैटेलाइट्स (आरआईएसएटी) के द्वारा सभी मौसमों में चालू रिपोर्ट सेंसिंग प्रौद्योगिकी।
- दूर-शिक्षा एवं दूर-औषधि नेटवर्क हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- पेयजल के लिए समुद्री जल को भारी मात्रा में लवण मुक्त करने और पेयजल के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों,बीज निगमों, आईसीएआर और अन्य राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क के द्वारा फार्म उत्पादों हेतु तकनीकी रूप से संभाव्य,आर्थिक रूप से सक्षम और पर्यावरण-अनुकूल अविकिरण प्रौद्योगिकियों का विकास।
- विशिष्ट मानवीय रोगकारकों जो पेट के अल्सर,क्षयरोग,गुर्दे एवं ह्दय की क्षति के लिए उत्तरदायी हैं और मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी जीन्स के विरुद्ध दवाओं हेतु जीनोमिक्स अनुसंधान।
- रैबीज,हैजा,एचआईवी/एड्स,क्षयरोग,जापानी मस्तिष्क शोथ एवं मलेरिया के विरुद्ध नई पीढ़ी की वैक्सीनो का विकास।
- फसल उत्पादकता वृद्धि, मूल्यवर्धन और उन्नत पोषणिक स्तर के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा ।
- नोवल कम्पाउंडस एवं जैव रूपांतरण प्रक्रियाओं के लिए भारत की माइक्रोबियल संपदा की खोज एवं उपयोग।
- वायु, जल और ठोस कचरे के लिए प्रदूषण नियंत्रण एवं मानिटरिंग प्रणालियों/ उपायों का विकास।
- मृत पशुओं का उपयोग एवं पर्यावरण-अनुकूल चर्म प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का विकास।

- बांस के उपयोग पर अधिक जोर देने के लिए बांस उत्पाद प्रौद्योगिकियां, वाणिज्यिकरण एवं अच्छी रोजगार सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए विशेषीकृत उत्पादों को बढ़ावा देना और
- नानो आकार के सेरामिक्स, जल शुद्धिकरण, औषधि प्रदायगी प्रणालियों, ऊर्जा यंत्रों आदि के विकास के लिए नानो-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान।
- फार्मास्यूटिकल अनुसंधान एवं विकास का उद्देश्य इस क्षेत्रक में उस तरीके से अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और स्थानिकमारी रोगों पर विशेषत: रूप से केंद्रित हो या भारत के अनुकूल हो।
- एक औषधि एवं फार्मास्यूटिकल अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पीआरडीएसएफ) की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
- महत्वपूर्ण औषधीय पौधों से नई दवाओं एवं अणुओं का परीक्षण एवं वैधीकरण।

➢ **पर्यावरण** का आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। दसवीं योजना में किए जाने वाले कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

- नदियों एवं जलाशयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी।
- प्राकृतिक संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग एवं प्रदूषण रोकथाम तथा साफ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को अपनाना।
- पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्रों में जैव विविधता का संरक्षण।
- जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के संचालन की दृष्टि से ऊषण कटिबंधी क्षेत्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।

आधार-संरचना

8.72 भारत में पर्याप्त यूरेनियम और अत्यधिक थोरियम के संसाधनों के परिपेक्ष्य में परमाणु शक्ति कार्यक्रम इस बात को मानता है कि परमाणु विद्युत की थोरियम आधारित प्रौद्योगिकियों के लिए ''फास्ट ब्रीडर रिएक्टर'' एक अग्रदूत के रूप में है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलपक्कम में एक 40 एमडब्ल्यूई के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) की स्थापना की गई है। एफबीटीआर के सफल प्रचालन से प्राप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता को देखते हुए सरकार ने 500 एमडब्ल्यूई क्षमता के प्रथम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) की डिजाइन, विकास एवं निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसके साथ ही साथ 235 एमडब्ल्यूई का एक उन्नत हैवीवाटर रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर) विद्युत उत्पादन के लिए थोरियम के उपयोग की प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन हेतु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी, मुंबई) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत के परमाणु विद्युत कार्यक्रम में थोरियम के उपयोग के अनुसंधान एवं विकास की प्रगति के लिए ये उपाय अनिवार्य हैं।

8.73 **कच्चे तेल भंडारण की सुविधा उत्पन्न करना,** विनियमनमुक्त नियंत्रण मूल्य प्रणाली के बाद के परिपेक्ष्य के अधीन एकाएक तेल आपूर्ति में व्यवधानों से बचाव हेतु अनिवार्य हो गई है। दसवीं योजना में ऐसे भंडारण एवं इसके प्रचालन के लिए एक कार्यतंत्र तैयार करना होगा।

8.74 **कोल बेड मीथेन** के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए कोल बेड मीथेन कार्यक्रम (सीबीएम) को दसवीं योजना के दौरान व्यापक एवं गहन किया जाएगा। प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार मीथेन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता की आशा की जा सकती है जिसमें से कुछ को दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यरूप दिया जा सकता है।

8.75 **रेलवे ढुलाई सेवाओं** का सुधार दसवीं योजना का मुख्य विषय होगा। सड़क परिवहन की तुलना में रेल ढुलाई यातायात अपना हिस्सा कम करता जा रहा है। कुल यातायात में इसका हिस्सा बनाये रखने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए कम से कम 1 प्रतिशत रेलवे ढुलाई की माँग बढ़नी चाहिए। सड़कों की गुणवत्ता में सुधार और भारतीय रेलवे की कमियों के कारण देश में माल और लोगों की आवा-जाही की अधिक पूंजी वाली एवं ऊर्जा की दृष्टि से अकुशल प्रौद्योगिकियां बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति की प्रतिकार करने के लिए उच्च घनत्व के कारिडोर्स की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। दसवीं योजना में ढुलाई रेलगाड़ियों की गति 100 कि.मी./प्रति घंटा तक बढ़ाकर, यात्रा एवं ढुलाई सेवाओं के बीच गति का अंतर कम करने का प्रस्ताव है।

8.76 **एक्सप्रेसवेज का निर्माण** दसवीं योजना में हाथ में लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना हमारे बड़े उच्च घनत्व वाले कारिडोर्स की क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाएगी। परंतु बढ़ते हुए यातायात को पूरा करने और यात्री एवं ढुलाई सड़क परिवहन यातायात दोनों की गतिशीलता सुधारने के लिए निजी क्षेत्रक में एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क की योजना एवं निर्माण द्वारा चुनींदा उच्च घनत्व के कारिडोर्स की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार की भूमिका एक सुसाध्यकारी तक सीमित रहेगी।

8.77 कंटेनर यातायात की पूर्ति के लिए **गेटवे पत्तनों** की स्थापना का प्रस्ताव है। भारत की तरफ आने वाले कंटेनर्स को भारी संख्या में कोलम्बो,सिंगापुर और दुबई जैसे पड़ासी पत्तनों में भारत में पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण नौकान्तरण करना पड़ता है। इससे विलम्ब होता है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेनदेन लागत बढ़ जाती है। भारत भौगोलिक रूप से पूर्व एवं पश्चिम के उच्च घनत्व परिवहन लदान कारिडोर्स के बीच अनोखे रूप में स्थित है। पूर्व और पश्चिम दोनों तटों में एक-एक अर्थात कुल दो बड़े गेटवे पत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनको रेल/सड़क पुल से जोड़ा जाएगा और कुशल आधुनिक संचालन सुविधाओं से सज्जित किया जाएगा जो समय एवं ईंधन की बचत की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन कंपनियों के लिए काफी लाभदायक होगा। साथ ही साथ यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़े व्यापार के अवसर प्रदान करेगा।

8.78 **निष्कर्ष :** इस बात को समझा जाना चाहिए कि सभी योजनाएं उभरती हुए प्रवृत्तियों एवं प्रारंभिक योजनाओं के एक पूर्ववर्ती मूल्यांकन पर आधारित हैं, कार्यक्रम एवं स्कीमें इनके निष्पादन की कार्ययोजना का प्रतिबिम्ब हैं। फिर भी तेजी से बदलते विश्व परिदृश्य में दसवी योजना के दौरान ऐसे नये विकास अवश्यंभावी हैं जिनकी आशा नहीं की गई थी। अतः योजना को इन्हें मान्यता देनी होगी और नीतियों एवं योजना कार्यक्रमों तथा स्कीमों के विषयों एवं अभिकल्पना में उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए।